7 जनवरी, 2013

एससीओ में भारत की सदस्यता: वर्तमान परिदृश्य

*डॉ अंगिरा सेन सरमा **

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में पूर्ण सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता के उन्नयन की भारत की इच्छा बिस्केक, किरगिस्तान में 5 दिसम्बर, 2012 को हुई एससीओ की 11वीं सरकार प्रमुखों की बैठक में पुन : प्रतिध्वनित हुई। यह नोट किया गया कि भारत एक पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में अधिक बड़ी, व्यापक और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

भारत वर्ष 2005 में एक पर्यवेक्षक के रूप में एससीओ में शामिल हुआ। तथापि, हाल ही में नई दिल्ली ने पूर्ण सदस्य के रूप में इस समूह में शामिल होने की इच्छा जतायी। भारत की जून , 2012 में शुरू हुई 'मध्य एशिया से जुड़नेकी नीति' भारत की अपने विस्तारित पड़ोसी देशों के साथ अग्रसक्रिय रूप से जुड़ने की रूचि का संकेत है। एससीओ इस क्षेत्र में अपने संबंधों को और मजबूत करने एवं यहां अपनी भूमिका को संवर्धित करने के लिए भारत हेतु एक सक्षम मंच है।

एससीओ को अस्तित्व में आए ग्यारह वर्ष बीत चुके हैं और अब यह धीरे -धीरे एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय निकाय के रूप में विकसित हुआ है। यह समूह वर्ष 1996 में शंघाई 5 के रूप में शुरू हुआ था और इसमें उजबेकिस्तान के शामिल होने के बाद वर्ष 2001 में इसे एससीओ के रूप में पुन: नामकरण किया गया। शुरूआत में यह समूह केवल सुरक्षा संबंधी मुद्दे को ही देखता था; तथापि, आज एससीओ के एजेंडे में आर्थिक मुद्दे प्रमुख हैं।

एससीओ में छह सदस्य हैं: रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान; पांच पर्यवेक्षक देश हैं: भारत, पाकिस्तान, ईरान, मंगोलिया और अफगानिस्तान; वार्ता साझेदार हैं: बेलारूस, श्रीलंकाऔर तुर्की। पिछले कुछ वर्षों में एससीओ के विस्तार की चर्चा होती रही है ; तथापि अभी तक यह संगठन नए सदस्यों को शामिल करने के लिए किसी विशिष्ट समय-सीमा को लेकर नहीं आया है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि एससीओ अपने सदस्यों के बीच विस्तार संबंधी प्रक्रियागत पहलुओं पर एकमत होने के बाद हीं नए सदस्यों को शामिल कर सकता है। वर्ष 2006 में एससीओ ने नए सदस्यों के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की घोषणा की। जब तक यह स्थगन लागू है, नए सदस्यों को शामिल करने में देरी होगी। जब भी एससीओ नए सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लेगा, भारत एक मजबूत उम्मीदवार होगा।

भारत को एससीओ के सदस्य बनने पर कई प्रकार से लाभ होगा। आज तक भारत मध्य एशिया क्षेत्र में किसी क्षेत्रीय समूह का सदस्य नहीं है। एससीओ की सदस्यता से भारत को पहली बार पांच मध्य एशियाई गणतंत्रों (सीएआर) और रूस व चीन जैसे कतिपय महत्वपूर्ण पड़ोसियों के साथ समान मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच मिलेगा।

एससीओ के सदस्यों और भारत के लिए सबसे चिंताजनक मुद्दा अफगानिस्तान में बिगड़ता हालात है। भारत , एससीओ मंच के माध्यम से सदस्य देशों को अफगानिस्तान में स्थायित्व के लिए साथ कार्य करने हेतु शामिल कर सकता है। अफगानिस्तान में एससीओ की भूमिका के बारे में भारत की अवधारणा बिस्केक में 5 दिसम्बरकी एससीओ की बैठक में दिए गए वक्तव्य में निर्धारित है ; एससीओ "अफगानिस्तान में बदलती सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने और परिलक्षित करने के लिए एक बेहतर वैकल्पिक क्षेत्रीय मंच प्रदान करता है।"

यहां यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि एससीओ विकसित हो रहे अफगान संकट में कोई अग्रसक्रिय भूमिका नहीं निभाता रहा है। 2005 में एससीओ- अफगानिस्तान संपर्क समूह की स्थापना, 2009 में अफगानिस्तान संबंधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने, और विभिन्न एससीओ शिखर सम्मेलनों में इस क्षेत्र में अफगानिस्तान द्वारा उत्पन्न किए जा रहे खतरों को सतत रूप से जोर देने जैसी कुछ पहलो को छोड़कर इस संकट से निपटने के लिए इस समूह द्वारा कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाया गया है। इस संगठन की भौगोलिक अवस्थिति को देखते हुए अफगानिस्तान को स्थिर बनाने , विशेष कर

2014 की अवधि के बाद, के लिए साझा व्यापक जिम्मेदारीहेतु एससीओ से बहुत उम्मीद है। यदि एससीओ को एक प्रभावी क्षेत्रीय निकाय के रूप में स्वयं को स्थापित करना है तो वह अफगान में बदल रही स्थिति के संबंध में आंखे मूंदकर नहीं बैठ सकता है।

भारत और एससीओ सदस्य अफगानिस्तान से प्राप्त हो रहे अतिवादी बलों के समर्थन और आतंवादी समूहों व मादक पदार्थ तस्करों के बीच दुरभिसंधि से चिंतित है , यह भारत और एससीओ सदस्य देशों के लिए सुरक्षा संबंधी खतरा उत्पन्न करता है। एससीओ की सदस्यता से भारत को ताशकंद में अवस्थित एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवादी रोधी अवसंरचना (आरएटीएस) द्वारा जुटायी गयी आतंकवाद संबंधी सूचना तक पहुंच मिलेगी।

इसके आर्थिक लाभ भी हैं ; वर्ष 2007 में एससीओ द्वारा घोषित 'ऊर्जा क्लब' की स्थापना इस क्षेत्र के समृद्ध हाइड्रोकार्बन रिजर्व तक भारत की पहुंच के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है। एक विचार यह भी है कि भविष्य में एससीओ भारत को चीन अथवा पाकिस्तान (पाकिस्तान के सदस्य बनने के बाद) के जरिये इस क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी प्राप्त हो सकती है।

एससीओ में सदस्यता का भारत के लिए कई जटिलताएं हैं , जिसका ध्यान रखा जाना है। दो मजबूत सदस्यों यथा रूस और चीन की तुलना में इस संगठन में भारत की स्थिति को सावधानी से रखे जाने की आवश्यकता है ताकि संघर्ष से बचा जा सके। इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन एससीओ में दृष्टिगत है , तथा चीन एवं रूस नए सदस्यों को शामिल किए जाने में निर्धारक भूमिका अदा कर रहे हैं। रूस ने भारत की सदस्यता का स्वागत किया है , जबकि चीन ने पाकिस्तान की सदस्यता का समर्थन किया है और भारत का विरोध किया है। यदि भारत एक सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाता है तो उसे चीन-पाकिस्तान की दुरभिसंधि से निपटना होगा। एक अन्य चिंताजनक मुद्दा चीन का है जो एससीओ में भारत को शामिल करने के बदले सार्क में सदस्यता की मांग कर रहा है।

चुनौतियों के बावजूद इसकी सदस्यता भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने इसकी सदस्यता के उन्नयन में अपनी दिलचस्पी दर्शाकर एक उचित कदम उठाया है। इस समय भारत को सावधानी पूर्वक यह देखना है कि इस संगठन में सीएआर भारत की सदस्यता को किस प्रकार देखता है। अब तक सीएआर ने एससीओ में भारत की सदस्यता का स्वागत किया है। रूस और चीन इस संगठन के प्रबल सदस्य होंगे। इसके बावजूद, एक क्षेत्रीय समूह के रूप में एससीओ सीएआर की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। भारत को मध्य एशियाई देशों की आशाओं को विफल न करने के प्रति सावधान रहना होगा जिनके साथ भारत का लंबे समय से दोस्ताना रिश्ता रहा है। चूंकि भारत का इस क्षेत्र के साथ संबंध बनाने के लिए बहुपक्षीय तंत्र में अधिक रूचि है , इसलिए उसे इन देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्जीवित भी करना होगा जो अंतत: एससीओ में भारत को सहायता पहुंचाएगा।

** डॉ. अंगिरा सेन सरमा,भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली में अध्येता हैं*

*

अस्वीकरण: व्यक्त मंतव्य लेखक के हैं और परिषद के मंतव्यों को परिलक्षित नहीं करते।